

सिद्धि कुर्मी - २३ नं०

107/19

९

दिनांक

आज्ञा पत्र

11-9-23

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि ये अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फौजदारी शुमार होकर नम्बर से काम होकर बाद तरतीब तकनीक दाखिल सफतर हो।

मु. प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

गुड्डा
पहचानती
रुड का रुट